

10.06.25

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थीगण के नाम से अलग-अलग समय पर तीन बार आवाज दिलाई गई।

कोई उपास्थित नहीं।

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थीगण अपने प्रार्थना-पत्र को लेकर गंभीर नहीं हैं।

लिखाजा प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अदम पैरवी व 'अदम दायिरी में खासिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दायिले दफतर हो व नंबर से कम हो।

*[Signature]*  
10/06/25  
सहायक कलेक्टर  
(SDO), बाइमेर